न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, I.A.S.

वादपत्र संख्या 129/2016
अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

सुभाषचन्द्र आत्मज श्री काशीराम, नायक, गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

...**वादी**

बनाम

1. सुगनाराम आत्मज श्री बनवारीलाल, चक 2 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..**प्रतिवादीगण**

उपस्थित–	श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़	(वादी)
	श्री राजाराम बिश्नोई	(प्रतिवादी–1)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–2)

दिनांक 04 सितम्बर, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 4 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 18 किला नम्बर 1 से 25 कुल 6.325 हैक्टर कृषि भूमि (जिसे निर्णय के शेष भाग में प्रश्नगत कृषि भूमि से सम्बोधत किया जा रहा है) श्री सुरताराम आत्मज श्री नत्थूराम को पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित की गयी. जिसकी खातेदारी सनद दिनांक 24 मार्च, 1981 को जारी की गयी. प्रश्नगत कृषि भूमि के खातेदार क्रमशः गुड्डी एवं कमला द्वारा अपने हिस्सा की 0.351 हैक्टर विक्रय विलेख द्वारा वादी को विक्रय कर दिया गया जिसके आधार पर नामान्तरकरण दिनांक 20 जुलाई, 2012 को दर्ज किया जा चुका है. इसी अनुरूप, श्री भूराराम एवं श्री सुरताराम द्वारा अपने हिस्सा की चक 4 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 18(0.14) बीघा का विक्रय वादी को इकरारनामा दिनांक 24 फरवरी, 2014 द्वारा करते हुऐ मौका पर कब्जा दे दिया गया. जिस पर वादी शान्तिपूवर्क काबिज चला आ रहा है. लगान, पानी की पर्ची वादी के नाम से जारी शुदा है. श्री भूराराम द्वारा कभी भी वादी को खरीद की गयी भूमि की बाबत आपत्ति नहीं की गयी. इसलिये उसे पक्षकार नहीं बनाया जा रहा है. प्रतिवादी संख्या 1 लालचवश वादी की राजस्व अभिलेखों में दर्ज 0.351 हैक्टर एवं इकरारनामा के आधार पर 0.14 बीघा से वादी को बेदखल कर कब्जा करने की धमकी देता है. वादी द्वारा कल दिनांक 10 सितम्बर, 2016 को प्रतिवादी संख्या 1 से अनुरोध किया कि वादी के राजस्व अभिलेखों में दर्ज एवं कयाधीन कृषि भूमि में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करे किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 इन्कार हो गया. यही वादहेतुक वादी को

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

उपलब्ध है. इस प्रकार वादी द्वारा चक 4 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 18 में 0.351 हैक्टर एवं कयाधीन 0.14 बीघा में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न कर, बंधक, विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करने बाबत प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में इकरारनामा दिनांक 24 फरवरी, 2014 की चित्रित प्रति, चक 4 एफ बड़ा के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 की प्रमाणित प्रति सलंग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 2 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 2 दिसम्बर, 2016 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार चक 4 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 18 किला नम्बर 1 से 25 कुल 6.325 हैक्टर कृषि भूमि भारत–पाक विभाजन पर बतौर नॉन क्लेमेन्ट श्री सुरताराम एवं पारां पुत्री, रूपा पुत्री, मुन्शी पुत्र, गुरदयाल पुत्र को बहिस्सा बराबर बराबर आवंटित की गयी. जिसकी खातेदारी सन्द संख्या 672 दिनांक 24 मार्च, 1981 को जारी की गयी. आवंटी श्रीमती पारा धर्मपत्नी श्री सुरजाराम द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 15 दिसम्बर, 1997 को चक 4 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 18 में अपने हिस्सा में से 4.03.10 बीघा की वसीयत निष्पादित कर दी गयी. प्रतिवादी आवंटी श्रीमती पारा का सगा दोहिता है. श्रीमती पारा की मृत्यु दिनांक 5 अप्रेल, 1998 को होने पर प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती पारा की चक 4 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 18 में अपने हिस्सा में से 4. 03.10 बीघा कृषि भूमि का खातेदार, काश्तकार का कानूनन अधिकारी हो गया. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्व. श्रीमती पारा की उक्त वसीयत अधीन कृषि भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु आवेदनपत्र दिनांक 19 मार्च, 1991 प्रस्तुत करने पर उप तहसीलदार, हिन्दूमलकोट द्वारा दैनिक सीमा सन्देश समाचारपत्र में आपत्ति नोटिस दिनांक 4 जून, 2009 प्रकाशित करवाया गया. प्रकरण संख्या 3/2009 शीर्षक सुगनाराम बनाम श्रीमती पारोदेवी में पारित निर्णय दिनांक 25 अगस्त, 2009 के अनुसार श्रीमती पारोदेवी की वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण प्रतिवादी के नाम पर दर्ज करने का आदेश जारी किया गया. प्रतिवादी उक्तांकित निर्णय दिनांक 25 अगस्त, 2009 की पालना में राजस्व पटवारी के पास गया तो राजस्व पटवारी द्वारा बताया गया कि श्रीमती पारोदेवी की कृषि भूमि का विरासतन नामान्तरकरण दिनांक 6 अगस्त, 2009 को दर्ज किया जा चुका है. जिस पर प्रतिवादी द्वारा न्या. उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी. जिसमें पारित निर्णय के अनुसार मा. न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण दिनांक 16 अगस्त, 2009 को निरस्त कर प्रकरण जांच हेतु तहसीलदार, श्रीगंगानगर को प्रतिपेषित किया गया. तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा न्या. उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेशों की पालना में प्रकरण संख्या 39/2014 में निर्णय दिनांक 5 मई, 2014 जारी किया गया जिसके अनुसार श्रीमती पारादेवी की

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वसीयत के आधार पर वसीयत अधीन कृषि भूमि का नामान्तरकरण श्री सुगनाराम(प्रतिवादी) के नाम पर तस्दीक किया जावे. वादी श्री सुभाषचन्द्र प्रतिवादी सुगनाराम के नाम पर श्रीमती पारादेवी की वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने की समस्त कार्यवाही में स्वयं उपस्थित था जिससे वादी को यह जानकारी थी कि श्रीमती पारादेवी द्वारा प्रतिवादी सुगनाराम के पक्ष में 4.03.10 बीघा कृषि भूमि की वसीयत निष्पादित की हुई है. प्रतिवादी 4.03.10 बीघा कृषि भूमि का खातेदार काश्तकारी हो चुका है. वादी द्वारा ग्राम पंचायत, कोनी से साजबाज कर श्रीमती पारोदेवी के वारिसान के नाम पर नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया तथा श्रीमती पारांदेवी के वारिसान के साथ षडयन्त्र रचकर प्रतिवादी सुगनाराम को उसके हिस्सा से वंचित करने के उदृेश्य से श्रीमती पारांदेवी के वारिसान गुड्डी एवं कमला से 0.351 हैक्टर कृषि भूमि का विकय विलेख निष्पादित करवा लिया गया. वादी को यह जानकारी थी कि प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत प्रकरण विचाराधीन हैं तथा सम्पत्ति विवादित है. वादी के पक्ष में गुड्डी एवं कमला आत्मजन स्व. श्रीमती पारोदेवी द्वारा निष्पादित बैयनामा निष्प्रभावी एवं प्रारम्भताः शून्य है. वादी को गुड्डी एवं कमला के बैयनामा से कोई अधिकार नहीं है. वादी विकय विलेख की हद तक खातेदार नहीं है. इसलिये वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. नामान्तरकरण दिनांक 20 जुलाई, 2012 की कोई वैद्यता नहीं है. श्री भूराराम को श्रीमती पारो एवं श्री सुरताराम की 0.14 बीघा कृषि भूमि नहीं आती क्योंकि श्रीमती पारो द्वारा अपने हिस्सा में से 4.03.10 बीघा कृषि भूमि की वसीयत प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित कर दी थी. इकरारनामा दिनांक 24 फरवरी, 2014 से वादी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं. श्री भूराराम को वाद का पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिये तथाकथित इकरारनामा से वादी के कोई अधिकार सृजित नहीं होते. वादी का प्रश्नगत कृषि भूमि पर वैद्य कब्जा नहीं है. वादी का प्रथमदृष्टया प्रकरण सिद्व नहीं होता है. सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में नहीं है. वादी प्रतिवादी से दिनांक 10 सितम्बर, 2016 को नहीं मिला. वादी को प्रतिवादी के विरूद्व कोई वादकरण उपलब्ध नहीं है. वादी का वाद प्रतिवादी के विरूद्व विधि एवं तथ्यों के विपरीत प्रस्तुत किया गया है इसलिये निरस्त किये जाने योग्य है. काउण्टरक्लेम में अकित किया गया कि वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में श्रीमती पारादेवी आत्मजा श्री सुरताराम द्वारा निष्पादित वसीयत तथा उस वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही उप तहसीलदार, हिन्दूमलकोट के समक्ष विचाराधीन होने की जानकारी स्वयं वादी को थी. उस कार्यवाही को निष्प्रभावी करने के उदृेश्य से वादी द्वारा गुड्डी, कला एवं भूराराम आत्मजन श्रीमती पारांदेवी के साथ साजबाज कर सरपंच, ग्राम पंचायत, कोनी से विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया. सरपंच, ग्राम पंचायत, कोनी द्वारा श्रीमती पारोंदेवी के वारिसान के नाम दर्ज नामान्तरकरण दिनांक 6 अगस्त, 2009 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 31 जनवरी, 2014 को निरस्त कर दिया गया. इसलिये वादी द्वारा गुड्डी, कमला एवं भूराराम से करवाया गया कथित इकरारनामा वॉयड

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

एबन्सियो होने से वादी को विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हुऐ हैं. श्रीमती पारोदवी के हिस्सा में से 4.03.10 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण अंकित हुआ. जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 प्रश्नगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चक 4 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 18 की 6.325 हैक्टर कृषि भूमि में श्रीमती पारोदेवी के हिस्सा की खातेदारी 4.03.10 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार, काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया. जवाब वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में सनद संख्या 672 दिनांक 24 मार्च, 1981, चक 4 एफ बड़ा के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070, चक 4 एफ बड़ा के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070, चक 4 एफ बड़ा के नामान्तरकरण संख्या अपठनीय, दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 15 दिसम्बर, 1997, श्रीमती पारादेवी धर्मपत्नी श्री सुरजाराम का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 29 जनवरी, 2009, उपतहसीलदार, हिन्दूमलकोट द्वारा नामान्तरकरण वसीयत प्रकरण संख्या 03/2009 सुगनाराम बनाम स्व. श्रीमती पारांदेवी में पारित आदेश दिनांक 25 अगस्त, 2009, श्री सुगनाराम द्वारा उपतहसीलदार, हिन्दूमलकोट के समक्ष प्रस्तुत आवेदनपत्र दिनांक 19 मार्च, 2009 मय रिपोर्ट पटवारी हल्का की प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 2 राज्यपक्ष की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार रिकार्ड के अनुसार वादी के नाम पर 0.351 हैक्टर दर्ज होना स्वीकार करते हुऐ राज्यपक्ष के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहे जाने के कथन प्रस्तुत किये गये.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. क्या चक 4 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 18 की 0.14 बीघा कृषि भूमि का विक्रय इकरारनामा दिनांक 24 फरवरी, 2014 द्वारा वादी को किया जाकर विक्रयाधीन कृषि भूमि का कब्जा वादी को दिया गया? ......**वादी**

2. क्या श्रीमती गुड्डी एवं कमला द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर किये गये नामान्तरकरण दिनांक 20 जुलाई, 2012 के आधार पर वादी 0.351 हैक्टर कृषि भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है? .....**वादी**

3. क्या वादी इकरारनामा दिनांक 24 फरवरी, 2014 एवं नामान्तरकरण दिनांक 20 जुलाई, 2012 के आधार पर वादी प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व किसी भी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है? .....**वादी**

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

4. क्या श्रीमती गुड्डी एवं कमला द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख एवं इकरारनामा दिनांक 24 फरवरी, 2014 प्रतिवादी के अधिकारों पर निष्प्रभावी है जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार एवं काश्तकार घोषित करवाये जाने का अधिकारी है? ..**प्रतिवादी–1**

5. अनुतोष ?

विवाद्यकों के विनिश्चिय हेतु साक्ष्य वादी के लिये श्री सुभाषचन्द्र द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया. जिससे जिरह की गयी. साक्ष्य प्रतिवादी हेतु श्री सुगनाराम द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया जिसके जिरह हेतु पुनः उपस्थित नहीं आने के कारण आदेश दिनांक 18 अप्रेल, 2017 द्वारा अन्तिम अवसर दिया गया. तदोपरान्त, साक्षी प्रतिवादी के उपस्थित आने पर जिरह की गयी. अभिलेख चक 4 एफ बड़ा के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070(**प्रदर्श–1**), सनद संख्या 672 दिनांक 24 मार्च, 1981(**प्रदर्श–डी.1**), चक 4 एफ बड़ा के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070(**प्रदर्श–डी.2**), चक 4 एफ बड़ा के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070(**प्रदर्श–डी.3**), चक 4 एफ बड़ा के नामान्तरकरण दिनांक 20 जून, 2014(**प्रदर्श–डी.4**), श्रीमती पारादेवी धर्मपत्नी श्री सुरजाराम का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 29 जनवरी, 2009(**प्रदर्श–डी.8ए**), उपतहसीलदार, हिन्दूमलकोट द्वारा नामान्तरकरण वसीयत प्रकरण संख्या 03/2009 सुगनाराम बनाम स्व. श्रीमती पारांदेवी की फर्द अहकाम दिनांक 19 मार्च, 2009 से आदेश दिनांक 25 अगस्त, 2009तक(**प्रदर्श–डी.5ए**) प्रदर्श करवाये गये.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

विवाद्यक संख्या 1 – क्या चक 4 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 18 की 0.14 बीघा कृषि भूमि का विक्रय इकरारनामा दिनांक 24 फरवरी, 2014 द्वारा वादी को किया जाकर विकयाधीन कृषि भूमि का कब्जा वादी को दिया गया? ......**वादी**

यद्यपि, इकरारनामा दिनांक 24 फरवरी, 2014 प्रदर्श नहीं करवाया गया है. किन्तु वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 24 फरवरी, 2014 के अनुसार भूराराम द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि में से अपने हिस्सा 0.702 हैक्टर में से ¼ हिस्सा 0. 175 हैक्टर एतद्द्वारा 0.14 बीघा को विक्रय करने का सौदा सुभाष पुत्र श्री काशीराम के साथ किया जाकर कृषि भूमि का कब्जा मय पानी दिनांक 13 अप्रेल, 2014 को दिये जाने तथा दिनांक 10 अप्रेल, 2015 को शेष राशि प्राप्त कर विक्रय विलेख पंजीकृत करवाना निश्चित किया गया. इकरारनामा के पृष्ठ भाग पर किसी भी प्रकार का अन्य

अंकन नहीं है जिससे स्पष्ट है कि इकरारनामा दिनांक 24 फरवरी, 2014 के अनुसार वादी को इकरारनामा अधीन कृषि भूमि का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 वादी के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 2 – **क्या** श्रीमती गुड्डी एवं कमला द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर किये गये नामान्तरकरण दिनांक 20 जुलाई, 2012 के आधार पर वादी 0.351 हैक्टर कृषि भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है? **.....वादी**

चक 4 एफ बड़ा के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070 **(प्रदर्श–डी.2)** पर अंकित नामान्तरकरण संख्या 412 दिनांक 20 जुलाई, 2012 के अनुसार गुड्डी एवं कमला द्वारा निष्पादित बैयनामा के आधार पर सुभाषचन्द्र पुत्र श्री काशीराम के नाम पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है तथा चक 4 एफ बड़ा के नामान्तरकरण संख्या अपठनीय**(प्रदर्श–डी.4)** के अनुसार तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 39/2014 में पारित निर्णय दिनांक 5 मई, 2014 द्वारा श्रीमती पारोदेवी की वसीयत दिनांक 15 दिसम्बर, 1997 के अनुसार श्रीमती पारोदेवी के 1.053 हैक्टर कृषि भूमि का नामान्तरकरण श्री सुगनाराम के नाम पर दर्ज किया गया है. जिसकी बाबत वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र की जिरह में कथन प्रस्तुत किये गये हैं कि तहसीलदार ने हमें बिना सुने सुगनाराम के नाम पर इन्तकल दर्ज कर दिया, जिसकी अपील ए.डी.एम. श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की थी यह पता नहीं कि वह अपील खारिज हो गयी मैंने अपील बीकानेर पेश की थी. किन्तु बीकानेर में क्या निर्णय पारित किया गया, की बाबत किसी भी प्रकार के तथ्य, टिप्पणी अथवा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये. ऐसी स्थिति में, नामान्तरकरण संख्या 412 दिनांक 20 जुलाई, 2012 के अनुसार गुड्डी एवं कमला द्वारा निष्पादित बैयनामा के आधार पर सुभाषचन्द्र पुत्र श्री काशीराम के नाम पर दर्ज नामान्तरकरण स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है. ऐसी स्थिति मे, वादी श्रीमती गुड्डी एवं कमला द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर किये गये नामान्तरकरण दिनांक 20 जुलाई, 2012 के आधार पर वादी 0.351 हैक्टर कृषि भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 2 वादी के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है.

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

विवाद्यक संख्या 3 – क्या वादी इकरारनामा दिनांक 24 फरवरी, 2014 एवं नामान्तरकरण दिनांक 20 जुलाई, 2012 के आधार पर वादी प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व किसी भी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है? **...वादी**

विवाद्यक सख्या 1 व 2 के विनिश्चिय के अनुसार वादी इकरारनामा दिनांक 24 फरवरी, 2014 एवं नामान्तरकरण दिनांक 20 जुलाई, 2012 के आधार पर उल्लेखित कयाधीन कृषि भूमि 0.351

हैक्टर एवं इकरारनामा के अनुसार 0.14 बीघा कृषि भूमि पाने का अधिकारी नहीं पाया गया. ऐसी स्थिति में, वादी प्रतिवादी के विरूद्व किसी भी आश्य का स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है. अतः विवाद्यक संख्या 3 भी वादी के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 4 – क्या श्रीमती गुड्डी एवं कमला द्वारा निष्पादित विकय विलेख एवं इकरारनामा दिनांक 24 फरवरी, 2014 प्रतिवादी के अधिकारों पर निष्प्रभावी है जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार एवं काश्तकार घोषित करवाये जाने का अधिकारी है?

..प्रतिवादी–1

इकरारनामा दिनांक 24 फरवरी, 2014 प्रदर्श नहीं करवाया गया है. किन्तु वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 24 फरवरी, 2014 के अनुसार भूराराम द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि में से अपने हिस्सा 0.702 हैक्टर में से ¼ हिस्सा 0.175 हैक्टर एतद्द्वारा 0. 14 बीघा को विकय करने का सौदा सुभाष पुत्र श्री काशीराम के साथ किया जाकर कृषि भूमि का कब्जा मय पानी दिनांक 13 अप्रेल, 2014 को दिये जाने तथा दिनांक 10 अप्रेल, 2015 को शेष राशि प्राप्त कर विकय विलेख पंजीकृत करवाना निशिचित किया गया. इकरारनामा के पृष्ठ भाग पर किसी भी प्रकार का अन्य अंकन नहीं है जिससे स्पष्ट है कि इकरारनामा दिनांक 24 फरवरी, 2014 के अनुसार वादी को इकरारनामा अधीन कृषि भूमि का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया. तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इकरारनामा के आधार पर वादी के किसी भी प्रकार के अधिकार सृजित ही नहीं होते व न ही इकरारनामा के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत ही किया जा सकता है. इसके साथ ही, चक 4 एफ बड़ा के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070 **(प्रदर्श–डी.2)** पर अकित नामान्तरकरण संख्या 412 दिनांक 20 जुलाई, 2012 के अनुसार गुड्डी एवं कमला द्वारा निष्पादित बैयनामा के आधार पर सुभाषचन्द्र पुत्र श्री काशीराम के नाम पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है तथा चक 4 एफ बड़ा के नामान्तरकरण दिनांक 20 जून, 2014**(प्रदर्श–डी.4)** के अनुसार तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 39/2014 में पारित निर्णय दिनांक 5 मई, 2014 द्वारा श्रीमती पारोदेवी की वसीयत दिनांक 15 दिसम्बर, 1997 के अनुसार श्रीमती पारोदेवी के 1.053 हैक्टर कृषि भूमि का नामान्तरकरण श्री सुगनाराम के नाम पर दर्ज किया गया है. ऐसी स्थिति में, नामान्तरकरण संख्या 412 दिनांक 20 जुलाई, 2012 के अनुसार गुड्डी एवं कमला द्वारा निष्पादित बैयनामा के आधार पर सुभाषचन्द्र पुत्र श्री काशीराम के नाम पर दर्ज नामान्तरकरण स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है. साथ ही, तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 39/2014 में पारित निर्णय दिनांक 5 मई, 2014 द्वारा श्रीमती पारोदेवी की वसीयत दिनांक 15 दिसम्बर, 1997 के अनुसार श्रीमती पारोदेवी के 1.053 हैक्टर कृषि भूमि का नामान्तरकरण श्री सुगनाराम के नाम पर दर्ज किया गया है. इस प्रकार श्रीमती गुड्डी एवं कमला द्वारा निष्पादित विकय विलेख एवं इकरारनामा दिनांक 24 फरवरी,

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

2014 प्रतिवादी के अधिकारों पर निष्प्रभावी है. तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में जारी आदेश निरस्त किया जाकर कार्यालय तहसीलदार, श्रीगंगानगर के समक्ष विचाराधीन है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार एवं काश्तकार घोषित करवाये जाने का अधिकारी नहीं है.

विवाद्यकों की विवेचना के अनुसार प्रथमतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इकरारनामा के आधार पर वादी के किसी भी प्रकार के अधिकार सृजित ही नहीं होते व न ही इकरारनामा के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत ही किया जा सकता है. द्वितीय, प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में जारी आदेश निरस्त किया जाकर कार्यालय तहसीलदार, श्रीगंगानगर के समक्ष विचाराधीन है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार एवं काश्तकार घोषित करवाये जाने का अधिकारी नहीं है. इस प्रकार वादपत्र एवं काउण्टरक्लेम निरस्त किये जाने योग्य है.

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र एवं काउण्टरक्लेम निरस्त किया जाता है. वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 4 सितम्बर, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.